न्यायालय—अभिजीत सिंह वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ,जिला गुना

आर.सी.टी. क्रमांक 326/2023
संस्थित दिनांक 23.03.2024
फाईलिंग क्रमांक 1932/2024
फायलिंग नंबर—एम.पी.0801002261/2024

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा,
आरक्षी केन्द्र कोतवाली गुना,
जिला—गुना (म0प्र0) ....अभियोगी

विरूद्ध

1— रचना पत्नी नकुल यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी महावीरपुरा, पुल के नीचे, जिला गुना म.प्र.,
2— मनीषा पत्नी अंकित रजक, उम्र 23 वर्ष, निवासी सकतपुर रोड़ पठार मोहल्ला कैंट गुना, जिला गुना म.प्र.
3— राहुल उर्फ सहदेव पुत्र लक्ष्मण सिंह यादव, उम्र 22 वर्ष, निवासी—चांदशाह बली दरगाह के पास बूढ़े बालाजी गुना, जिला गुना म.प्र.
..........अभियुक्तगण

—// उपार्पण आदेश //—

(आज दिनांक 28.03.2024 को पारित)

01— इस आदेश द्वारा थाना कोतवाली जिला गुना के अपराध क्रमांक—114/24 में धारा—294, 323, 506, 34, 394 भा0द0स0 के तहत अभियोग पत्र को विधिवत विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय गुना को उपार्पित किया जा रहा हैं।

02— प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः—फरियादी पुरूषोत्तम यादव दिनांक 15.02.2024 के शाम करीबन 07:00 बजे उसके दोस्त अशोक धाकड़ के साथ बाजार से अपने घर विध्यांचल कॉलोनी नयापुरा के रास्ते से जा रहा था, रास्ते में संजीवनी क्लीनिक की तरफ जाते समय गैस एजेंसी के आसपास एक मोटर साईकिल वाला लड़का मोबाईल पर बात करते हुये उसे कट देकर आगे निकला जिसे उसने टोका तब थोड़े आगे उसकी मोटर साइकिल के आगे एक स्कूटी आकर रूकी जिस पर दो लड़कियां बैठी थी और एक मोटरसाईकिल उसकी मोटरसाईकिल के पीछे आकर रूकी जिसको एक लड़का चला रहा था, तभी स्कूटी पर पीछे बैठी हुई लड़की उतर कर उसके पास आई और उसे

मां–बहन की गंदी–गंदी गालियां देने लगी और उसके गाल में एक थप्पड़ मारा, उसने उससे कहा कि थप्पड़ क्यों मार रही हो तो कहने लगी, उन्हें टोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तभी मोटरसाईकिल वाला लड़का भी उतर कर उसके पास आ गया, तब उस लड़के ने और लड़की ने उसकी लात–घूसों मुक्कों व थप्पड़ों से मारपीट करने लगे तभी वहां पर गली में आने–जाने वाले लोग इक्ट्ठे हो गये, उसके दोस्त ने और जनता ने बीच–बचाव किया तभी वह तीनों मिलकर उसे जान से मारने की धमकी देने लगे, मारपीट में उसे गर्दन के नीचे बायें तरफ, दोनों हाथों के पंजों में खरोंच एवं मुंदी चोट आई। फिर उसने कुछ देर बाद वे थाने की तरफ रिपोर्ट करने आ रहे थे, तभी उसने रास्ते में देखा की उसकी शर्ट के उपर की बटन टूटी हुई थी और उसकी सोनी की चैन उसके गले में नहीं थी। फिर वह लौटकर संजीवनी क्लीनिक नयापुरा रोड़ पर गया, तो वहां पता चला की दोनों लड़किया जो स्कूटी चला रही थी, उसका नाम रचना और जिसने उसकी सबसे पहले मारपीट की थी, उसका नाम मनीषा रजक और जिस लड़के ने उसे कट मारा था, उसका नाम राहुल था। फिर उन्होंने विडियो फुटेज देखते रहे और उन लोगों की तलाश करते रहे, फिर वे रिपोर्ट करने के थाने आ गये थे।

03– फरियादी पुरूषोत्तम यादव की रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली गुना में अपराध कमांक 114 / 2024 धारा 294, 323, 506, 34 भा.दं.सं. पर दर्ज की गई। प्रकरण का अनुसंधान स.उ.नि. राजेन्द्र कुमार गौड़ के द्वारा किया गया, जिनके द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण पुरूषोत्तम यादव, अशोक धाकड़ के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण से पूछताछ संबंधी मेमोरेंडम एवं जप्ती पत्रक बनाये गये तथा अभियुक्त रचना यादव, मनीषा रजक एवं राहुल यादव को गिरफ्तार कर अन्य अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 23.03.2024 को धारा 294, 323, 506 सहपठित धारा 34 ईजाफा धारा 394 भा.दं.सं. का अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04– विवेचना के दौरान अभियुक्त रचना यादव, मनीषा रजक एवं राहुल यादव को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण के अवलोकन से न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 394 भा0द0स0 के आरोप बनना प्रतीत होता हैं जो कि अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, इसलिये प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय को उपार्पित किये जाने योग्य हैं।

05– अभियुक्तगण को धारा 207 भा0 द0 सं0 धारा 208 भा0 द0 सं0 के उपबंधों के अनुसार अभियोग पत्र और संलग्न सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियॉ निःशुल्क प्रदाय की गई है।

06– प्रकरण के उपार्पण की सूचना लोक अभियोजन कार्यालय को दी जाये।

07— प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल एक स्कूटी जुपीटर जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP 08 ZA 0542 एवं मोटरसाईकिल एच.एफ.डीलक्स लाल काले रंग की रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP 08 MP 3465 तथा सोने की चैन को उनके विधिक मालिकों को सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है एवं सोने की चैन खरीदने की मूल रसीद तथा पेनड्राईव प्रकरण में संलग्न है।

08— प्रकरण में अभियुक्त राहुल यादव न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः अभियुक्त का कमिट वारंट बनाया जाकर उस पर नोट लगाया जावे कि वे आगामी सुनवायी दिनांक 10.04.2024 को माननीय जिला सत्र न्यायालय गुना के समक्ष उपस्थित रखे एवं प्रकरण के अन्य अभियुक्त रचना यादव एवं मनीषा रजक जमानत पर हैं, उन्हें एवं उनके अधिवक्ता को निर्देशित किया गया कि वे आगामी पेशी दिनांक 10.04.2024 को माननीय जिला सत्र न्यायालय गुना के समक्ष उपस्थित रहें।

09— निष्पादन लिपिक मामले का अभिलेख आगामी सुनवायी दिनांक 10.04.2024 के पूर्व माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय गुना, जिला—गुना की ओर भेजे।

आदेश खुले न्यायालय में उद्घोषित दिनांकित व हस्ताक्षरित किया।

मेरे निर्देश पर लिखा गया।

(अभिजीत सिंह वास्कले)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जिला गुना (म.प्र.)

(अभिजीत सिंह वास्कले)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जिला गुना (म.प्र.)

ABHIJEET SINGH VASKLE

Digitally signed by ABHIJEET SINGH VASKLE
Date: 2024.03.28 16:52:13 +0530